



# MAHARAJGANJ POLICE

## सराहनीय कार्य का विवरण- दिनांक 17.04.2026



**\*1. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर \*1009\* वाहनों का चालान व 01 वाहनो को सीज किया गया।

**\*2. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- \*72\* व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-170 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**\*3. "मिशन शक्ति"-\*** मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति महिलाओं, बालिकाओं में सुरक्षा व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को नारी सशक्तिकरण के प्रति किया गया जागरूक।

**\*4. पैदल गश्त -\*** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के आदेश के क्रम मे पैदल गश्त के तहत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बों में स्थित बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्रों एवं अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों आदि के सुरक्षार्थ सघन चेकिंग अभियान चलाकर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की गई। नागरिकों एवं आम जनमानस से संवाद स्थापित कर प्रमुख चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया, जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। जनपदीय पुलिस द्वारा 34 पुलिस एक्ट मे 06 व्यक्तियो के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

**\*5. जन संवाद-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठकें कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी।

**\*6. विवेचना निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- \*14\* विवेचना का निस्तारण किया गया।

**\*7\* \*थानो द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण-\***

**थाना नौतनवा द्वारा की गयी कार्यवाही-** अभियुक्ता कुन्ती देवी पत्नी स्व० भोसू उर्फ भुसु निवासी ग्राम कजरी टोला मुसहरडीह थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 80/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी । 2- अभियुक्ता तेरसा देवी पत्नी स्वामीनाथ निवासी खैराटी थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 270 पाउच देशी अवैध शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 81/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कार्यवाही की गयी ।

**थाना पुरन्दरपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-** अभियुक्ता रजवन्ता पत्नी स्व० सोहन साकिन खुर्मपुर टागिया थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 98/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

**थाना ठूठीबारी द्वारा की गयी कार्यवाही-** अभियुक्त मोती चन्द्र पुत्र दुखी निवासी किशुनपुर टोला पिपर डाढा थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 77 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 52/2026 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

**थाना फरेन्दा द्वारा की गयी कार्यवाही-** अभियुक्ता वासमती पत्नी जनार्दन निवासी ग्राम निरमान पश्चिमी टोला कुशहरिया थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 108/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

**थाना सिन्दुरिया द्वारा की गयी कार्यवाही-** अभियुक्ता शान्ति देवी पत्नी स्व० सुकई गुप्ता निवासी बसन्तपुर खुर्द थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज के कब्जे से 80 पाउच टेट्रा पैक बन्टी बबली देशी बबली शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 87/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

**\*8.** जनपद में \*16/17-04-2026\* को विभिन्न अपराधों में कुल- \*78\* अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।